

न्यायालय—द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड
(समक्ष :-पी0सी0आर्य)

वैवाहिक प्रकरण क्र0-61/2015
संस्थापन दिनांक 09/07/2013
फाइलिंग दिनांक-230303012942015

मुरारी पुत्र केदारनाथ आयु 30 साल
निवासी ग्राम शेरपुर तहसील गोहद
जिला भिण्डआवेदक

वि रु द्ध

श्रीमती कुसमा पत्नी मुरारी पुत्री दामोदर प्रसाद ओझा,
निवासी ग्राम इमलिया हाल दो नंबर स्कूल के पीछे,
भीमनगर गली नंबर-01 भिण्ड.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
एक पक्षीय।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 01 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. इस निर्णय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका अनावेदिका श्रीमती सुषमा से दि0-17/04/2006 को हिन्दू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था, विवाह पश्चात अनावेदिका उसके पास बतौर पत्नी रही किन्तु उसका स्वभाव झगडालू रहा, वह हमेशा झगडा फसाद करती रहती थी जिसे सहन करते हुए उसने वैवाहित जीवन यापन किया और उसके संसर्ग से तीन संतानें पुत्री अनुष्का, पुत्र शिवा एवं पुत्र बॉबी पैदा हुए हैं, जो अवयस्क हैं। अनावेदिका अंतिम बार उसके साथ दि0-16/04/2015 को बतौर पत्नी ग्राम शेरपुर तहसील गोहद में रही, उसके बाद वह उसे व अवयस्क संतानों को छोडकर दि0-17/04/2015 को घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर गायब हो गयी और उसके पश्चात से प्रमोद जैन पुत्र बुद्धसिंह जैन के साथ पत्नी के रूप में दो नंबर स्कूल के पीछे, गली नंबर-01 भिण्ड में निवास कर रही है। जिसके कारण वह विवाह विच्छेद चाहता है।
3. आवेदक का यह भी अभिवचन है कि अनावेदिका जब उसके साथ रहती थी, तब आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी और उसके द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हुई थी, पंचनामा

बनाया गया था उसके बाद भी कोई सुधार उसके व्यवहार में नहीं हुआ और उसका चालचलन और व्यवहार अच्छा नहीं रहा। वह समाज में बदमानी से बचने के लिए उसे पत्नी के रूप में स्वीकारता रहा है। थाना एण्डोरी व पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भी शिकायत की गयी थी। इस कारण आवेदनपत्र स्वीकार क उसके पक्ष में अनावेदिका के विरुद्ध विवाह विच्छेद की आज्ञा प्रदान किए जाने एवं अनावेदिका द्वारा ले जाये गये जेवरात व रुपये कपडा आदि वापिस किए जाने व अनावेदिका से भरण पोषण की भी मांग की है।

4. अनावेदिका की उक्त प्रकरण में जरिये दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशन उपरांत तामीली पश्चात अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध दि०-08/07/2016 को एक पक्षीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। अनावेदिका की ओर से मूल आवेदनपत्र का कोई जवाब पेश नहीं है, ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य है।

5. आवेदक की ओर से प्रकरण में स्वयं मुरारी आ.सा.-01 राजेन्द्रप्रसाद उपाध्याय आ.सा.-02 और कल्याणसिंह तोमर आ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य कराये गये हैं।

6. प्रकरण में एक पक्षीय स्थिति को देखते हुए आवेदक द्वारा चाही गयी आज्ञा के संबंध में मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :-

अ- क्या, अनावेदिका विवाह पश्चात से वर्तमान तक की अवधि के मध्य जारतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है ?

ब- क्या, अनावेदिका द्वारा आवेदक के साथ विवाह पश्चात क्रूरता का व्यवहार किया गया है ?

स- यदि हां तो प्रभाव ?

—:: सकारण निष्कर्ष —::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-अ, ब एवं स :-

7. सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण अनावेदिका के प्रकरण में एकपक्षीय हो जाने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।

8. आवेदक मुरारी आ.सा.-01 ने अपने एक पक्षीय शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में मूल आवेदनपत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए मूलतः इस आशय का अभिसाक्ष्य दिया गया है कि अनावेदिका से उसका विवाह दि०-17/04/2006 को संपन्न हुआ था। उसके बाद से अनावेदिका हमेशा झगडा फसाद करती रही। जिसे वह सहन करते हुए अनावेदिका के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करता रहा। अनावेदिका उसके पास दि०-16/04/2015 को अंतिम बार ग्राम शेरपुर तहसील गोहद में बतौर पत्नी रही, उक्त अवधि में उसके संसर्ग से तीन संतानें पुत्री अनुष्का उम्र 06 वर्ष, पुत्र

शिवा उम्र 04 वर्ष और पुत्र बॉबी उम्र 02 वर्ष उत्पन्न हुए हैं, तीनों ही संतानें उसके पास हैं, क्योंकि अनावेदिका दि०-17/04/2015 को उसे कोई जानकारी दिये बगैर अवयस्क संतानों को छोड़कर घर में रखे हुए रुपये जेवरात लेकर गायब हो गयी थी। और प्रमोद जैन पुत्र बुद्धसिंह जैन नामक व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में दो नंबर स्कूल के पीछे गली नंबर 01 भीमनगर भिण्ड में निवास कर रही है जिसके संबंध में पुलिस थाना एण्डोरी और पुलिस अधीक्षक भिण्ड को रिपोर्ट भी की गयी थी किन्तु कार्यवाही नहीं हुई इसलिये अब वह उक्त आधारों पर अनावेदिका को पत्नी के रूप में नहीं चाहता है और विवाह विच्छेद चाहता है क्योंकि उसका चरित्र बहुत ही खराब हो गया है और वह समाज में बदनामी के कारण सहन करता रहा, किन्तु उसकी भारी बदनामी अनावेदिका के गायब हो जाने से हो गयी है। आवेदक ने इस संबंध में पुलिस को की गयी शिकायतों और पंचनामे की प्रतियां पेश करना बताया है। साक्ष्य में उन्हें फोटोकॉपी होने से प्रदर्शित नहीं किया गया है। आवेदक के उपरोक्त प्रकार के अभिसाक्ष्य का समर्थन राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय आ.सा.-02 एवं कल्याण सिंह आ.सा.-03 के द्वारा किया गया है।

9. एक पक्षीय अंतिम तर्कों में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कूरता एवं जारतापूर्ण जीवन अनावेदिका द्वारा व्यतीत किए जाने के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।
10. आवेदक का मूल आवेदनपत्र धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है, मूलतः जो आधार लिये गये हैं, उसमें अनावेदिका के जारतापूर्ण जीवन व्यतीत करने और विवाह पश्चात से आवेदक के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार बाबत लिये गये हैं। धारा-13 (01) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद बाबत यह उपबंध है कि कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि—
 - (i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है, या
 - (ii) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ कूरता का व्यवहार किया है।
11. इस तरह से जारतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले पक्षकार के विरुद्ध उक्त आधार पर एवं कूरतापूर्ण व्यवहार के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जा सकती है। अभिलेख पर आवेदक द्वारा प्रारंभ से ही मूल आवेदनपत्र के अभिवचनों तथा शपथ पर दी गयी साक्ष्य में अनावेदिका पर इस आशय के स्पष्ट आक्षेप किए हैं कि वह प्रमोद जैन पुत्र बुद्धसिंह जैन नामक व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में निवासरत है जिसका पता भी उल्लेख किया है। इस बात का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है, अवैध संबंधों के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जा सकती है। आवेदक द्वारा प्रकट की गयी परिस्थितियों में तीन नाबालिग संतानें उसके द्वारा बतायी गयी हैं जो तीनों ही उसके पास हैं, तथा अनावेदिका के आचरण के संबंध में हालांकि जो

दस्तावेज पेश करना बताये हैं वे मूल रूप से पेश न किए जाने के कारण साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए हैं, किन्तु यदि उनका न्यायिक नोटिस लिया जाये तो आवेदक द्वारा लिये गये आधारों को बल मिलता है जिसमें पुलिस को की गयी शिकायत ग्राम पंचायत शेरपुर में सरपंच, उपसरपंच व अन्य पंचाग की उपस्थिति में जो पंचनामा तैयार किया गया था, वह भी अनावेदिका के जारतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए गये आधार को बल प्रदान करता है तथा शपथपत्र जिसमें भी आत्महत्या की धमकी देने वाली बात, एक बार आत्महत्या के प्रयास करने वाली बात व जारतापूर्ण जीवन की बात का उल्लेख है, यह भी आवेदक के आधार को एक पक्षीय रूप से बल प्रदान करते हैं। ऐसे में आवेदक द्वारा लिये गये दोनों ही आधार विधिक बल रखते हैं और आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी एक पक्षीय साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई भी आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों बिन्दु क्रमांक अ और ब एक पक्षीय रूप से प्रमाणित होते हैं जिसका यह परिणाम होगा कि आवेदक अनावेदिका के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का वैधानिक पात्र हो जाता है।

12. जहां तक आवेदक ने अनावेदिका से भरण पोषण की मांग की है और जेवरात वापिसी की मांग की है, वह धारा-13 (1) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। और धारा-25 के प्रावधान के अंतर्गत आता है, जिसके संबंध में अभिलेख पर सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है इसलिये की गयी मांग औपचारिक है, जो प्रस्तुत किए गये आवेदनपत्र के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

13. फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आंशिक रूप से विवाह विच्छेद की आज्ञा की सीमा तक स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में अनावेदिका के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा प्रदत्त की जाती है कि:-

1. आवेदक मुरारी ओझा का अनावेदिका श्रीमती कुसमा के साथ दिनांक-17/04/2006 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार संपन्न विवाह निर्णय दिनांक से विच्छेदित घोषित किया जाता है।

14. प्रकरण की परिस्थितियों में आवेदक अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेगा।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक : 01/10/2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)